



2026:AHC:49005-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के अंतर्गत

अपील (दोषपूर्ण) संख्या - 5 वर्ष 2026

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... अपीलार्थीगण

बनाम

ओमपाल सिंह

..... प्रत्यर्थी

अपीलार्थी के अधिवक्ता: राजीव सिंह (स्थायी अधिवक्ता)

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: दीपक सिंह, जितेंद्र सिंह, सुमित गोयल

मुख्य न्यायाधीश की अदालत

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश

माननीय क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति

1. यह अपील 24 दिनों की अवधि से बाधित है। विलंब के क्षमादान की मांग करते हुए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदन दायर किया गया है। यद्यपि आवेदन का विरोध करते हुए प्रत्युत्तर और उसका प्रति-प्रत्युत्तर दायर किया गया है, तथापि आवेदन का गंभीर रूप से विरोध नहीं किया गया है और मामले पर गुण-दोष के आधार पर बहस की गई है।
2. विलंब क्षमादान आवेदन में दर्शाए गए कारणों को देखते हुए, उन्हें पर्याप्त पाया गया है और इसलिए आवेदन स्वीकार किया जाता है। अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है।
3. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 ('अधिनियम') की धारा 37 के तहत यह अपील वाणिज्यिक न्यायालय संख्या-1, मेरठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.2025 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा मध्यस्थ निर्णय दिनांक 30.11.2019 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. अपीलार्थीगण द्वारा राइट अकबरपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 31.720 तक के आंतरिक खंड के सुदृढीकरण, बहाली और डिस्ट्रीब्यूटरी एवं माइनर्स के मुख्य द्वारों, शीर्ष और पुच्छ दीवारों की मरम्मत हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। प्रत्यर्थी ने आवश्यक अग्रिम धन राशि के साथ अपनी निविदा प्रस्तुत की थी। निविदाएं 22.10.2012 को खोली गई थीं। प्रत्यर्थी का प्रस्ताव सर्वाधिक स्वीकार्य पाया गया और कार्य उसे आवंटित कर दिया गया। निविदा के निष्पादन हेतु आवश्यक प्रतिभूति राशि जमा की गई और ₹37,41,395/- के मूल्य हेतु अनुबंध निष्पादित किया गया। कार्य प्रारंभ करने की तिथि 12.11.2012 थी, जिसे 26.12.2012 तक पूर्ण किया जाना आवश्यक था।
5. पक्षकारों के मध्य कुछ मतभेद और विवाद उत्पन्न हुए और मुख्य अभियंता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, मेरठ ने विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया। मध्यस्थ ने 30.11.2019 को अपना पंचाट पारित किया। मध्यस्थ ने किए गए कार्य के भुगतान, मध्यस्थता की लागत, पंचाट-पूर्व और पंचाट-पश्चात ब्याज के रूप में ₹21,27,600/- की राशि प्रदान की।
6. इससे क्षुब्ध होकर, अपीलार्थीगण ने अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन दायर किया। वाणिज्यिक न्यायालय ने चार बिंदु निर्धारित किए और पक्षकारों को सुनने के बाद, उक्त बिंदुओं पर अपने निष्कर्ष दर्ज किए और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि न केवल एकमात्र मध्यस्थ का तर्क तार्किक है, बल्कि मध्यस्थ द्वारा सभी सामग्रियों और साक्ष्यों पर ध्यान दिया गया है। न्यायसंगत निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए ठोस आधार और पर्याप्त कारण बताए गए थे और रिकॉर्ड पर प्रत्यक्षतः कानून की कोई त्रुटि या कदाचार प्रतीत नहीं हुआ। पंचाट सुदृढ कारणों द्वारा समर्थित था और साक्ष्यों के उचित मूल्यांकन पर आधारित था, तथा यह किसी सार्वजनिक नीति या निविदा की शर्तों के विरुद्ध नहीं था। फलस्वरूप, अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन खारिज कर दिया गया।
7. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर दलीलें दीं कि मध्यस्थ और वाणिज्यिक न्यायालय ने क्रमशः पंचाट पारित करने और आवेदन खारिज करने में त्रुटि की है। यह दलील दी गई कि इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि कनिष्ठ अभियंता द्वारा मापन पुस्तिका में तीसरा चालू बिल तैयार किया गया था और संबंधित सहायक अभियंता द्वारा उसे अनुमोदित नहीं किया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया था, इसलिए एकमात्र मध्यस्थ के निर्देशानुसार दावेदार को भुगतान करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था।

8. आगे यह दलील दी गई कि दावा प्रत्यक्षतः परिसीमा द्वारा बाधित था, जिस पहलू पर मध्यस्थ और वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा उचित रूप से विचार नहीं किया गया है और उस आधार पर भी, पंचाट स्पष्ट अवैधता से ग्रस्त था और निरस्त किए जाने योग्य था।
9. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने पंचाट के साथ-साथ वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया। यह दलील दी गई कि मध्यस्थ और वाणिज्यिक न्यायालय ने मामले में शामिल तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं पर विस्तृत विचार किया है और उपलब्ध सामग्री के आधार पर निष्कर्ष निकाला है। बिल के अक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किए जाने के आरोप न तो मध्यस्थ के समक्ष उठाए गए थे और न ही धारा 34 के आवेदन में, और अब उठाया जा रहा यह तर्क निराधार होने के साथ-साथ सारहीन भी है। वाणिज्यिक न्यायालय ने परिसीमा के पहलू पर विस्तार से विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि प्रत्यर्थी (सरकार) ने स्पष्ट रूप से अपने दायित्व को स्वीकार किया था और उक्त पावती के आधार पर दावा समय सीमा के भीतर था, अतः अपील खारिज होने योग्य है।
10. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।
11. वाणिज्यिक न्यायालय ने धारा 34 के आवेदन में उठाए गए तर्कों के आधार पर विचारार्थ निम्नलिखित बिंदु निर्धारित किए थे:-

"1. क्या ओमपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ.प्र.) अधिशासी अभियंता अनूपशहर शाखा खंड गंगा नहर, मेरठ (उ.प्र.) एवं एक अन्य के मध्य अनुबंध संख्या 25/ई.ई./2012-13 में विद्वान एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित मध्यस्थ पंचाट दिनांक 30-11-2019, आवेदकों द्वारा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत अपने आवेदन में बताए गए आधारों पर निरस्त किए जाने योग्य है?

2. क्या विपक्षी का दावा समय-बाधित है?

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. क्या विद्वान मध्यस्थ ने निर्धारित अवधि के भीतर पंचाट पारित नहीं किया है?

4. क्या ब्याज से संबंधित दावा संख्या 4 के संबंध में विद्वान मध्यस्थ द्वारा निकाला गया निष्कर्ष गलत, अत्यधिक और कानून के सिद्धांतों के विपरीत है?"

12. चारों बिंदुओं पर अलग-अलग विचार किया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के संदर्भ में पंचाट की पुष्टि करते हुए स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किए गए। पंचाट में कथित कमी से संबंधित विभिन्न दलीलों पर विस्तृत विचार किया गया।

13. वह महत्वपूर्ण पत्र, जो अनिवार्य रूप से अपीलार्थीगण द्वारा उठाए गए संपूर्ण तर्क का निस्तारण करता है, इस प्रकार है:-

“कार्यालय अधिशासी अभियंता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर,
मेरठ।

पत्रांक / आशाख/ 13 वित्त दिनांक

विषय- अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ के द्वारा गिठत अनुबन्ध सं. 25/ई.ई./ 2012-13 के अन्तर्गत किये गये कार्य के भुगतान के सम्बन्ध में।

संदर्भ- आपका पत्रांक 10181/मु0अ0 गंगा/सी-1/ प्रथम दिनांक 20-09-2016

मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ.प्र. मेरठ।

5. कृपया उपरोक्त विषयक संदिग्ध पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में आख्या/कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं। प्रश्नगत प्रकरण में अभिलेखों के आधार पर अवगत कराना है कि अनुबन्ध सं. 25/ई.ई./2012-13 अधिशासी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ एवं ठेकेदार श्री ओमपालब सिंह ग्राम व पो. स्याल जिला मेरठ के मध्य गिठत हुआ था, जिसके अन्तर्गत राईट अकबरपुर राजवाहे के आन्तरिक अनुभाग की पुनर्स्थापना, राजवाहा व माइनर के मेट गेटों की मरम्मत एवं कुलाबे के हैड व टेल वाल के मरम्मत एवं पुनर्स्थापना के कार्य हेतु कि.मी. 0.00 से कि.मी. 31.720 तक प्रस्तावित था। उक्त कार्य निम्नलिखित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण हो चुका था। उपरोक्त कार्य 13 वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के क्रियान्वयन हेतु लेखाशीर्षक 9400-2700-04-80-800-05-01-29 के अन्तर्गत कराया गया था। उक्त अनुबन्ध के अन्तर्गत कुल धनराशि रुपये 34.86

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लाख का कायर् ठेकेदार द्वारा सम्पिादत किया गया,जिसमें से ठेकेदार को रुपये 22.00 लाख का भुगतान वितीय वर्ष 2012-13 में किया जा चुका है। धनराश रुपये 12.86 लाख का भुगतान श्री ओमपाल सिंह ठेकेदार को किया जाना अभी शेष है। वतर्मान में उक्त पिरयोजना के अन्तर्गत कोई धनराश खण्ड में उपलब्ध नहीं है। अतः आप से निवेदन है कि उपरोक्तानुसार धनराश रुपये 12.86 लाख का आवंटन इस खण्ड को कराने हेतु अग्रिम आवश्यक कायर्वाही करने की कृपा करे।

ह./-

अधिशायी अभियंता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर,
मेरठ।

पत्रांक 3142/अशाख/13वित्त तिदनांक 24.10.2016

प्रितिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायर्वाही हेतु प्रिषत है।

1. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिचाई कायर् मेरठ को उनके पत्रांक 8867/प्रथम / डब्लू-46/ अनूप. दिनांक 30.09.2016 के संदभर् में।
2. सहायक अभियन्ता, प्रथम अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ को इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 2689/अशाख/दिनांक 09.09.2016 के संदभर् में।
3. श्री ओमपाल सिंह, ठेकेदार, गांव व पो. स्याल, जिला मेरठ को उनके पत्रांक शून्य दिनांक
4. प्रारूपकार
5. श्री भीम सिंह लेखा लिपिक तृतीय (वाद लिपिक) अनूपशहर शाखा खंड गंगा नहर मेरठ को उक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति सहित

ह./-

अधिशायी अभियंता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर,
मेरठ।

14. उपरोक्त पत्र के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधिशायी अभियंता ने स्पष्ट रूप से इंगित किया था कि कार्य स्वीकृत समयावधि के भीतर पूर्ण कर लिया गया था। ठेकेदार को ₹12.86 लाख की राशि का भुगतान किया जाना शेष था और चूंकि वर्तमान में योजना के अंतर्गत कोई धनराशि उपलब्ध नहीं थी, अतः अग्रिम कार्रवाई हेतु ₹12.86 लाख की धनराशि वितरित करने का अनुरोध किया गया था। इस पत्र को अधीक्षण अभियंता, सहायक अभियंता आदि को पृष्ठांकित किया गया था।

15. यह तथ्य कि कार्य समय पर पूर्ण हो गया था और केवल योजना के तहत धन की कमी के कारण ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जा सका, तथा यह स्वीकारोक्ति कि ₹12.86 लाख की राशि बकाया थी, संपूर्ण विवाद का निस्तारण कर देती है; क्योंकि मापन

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुस्तिका पर कनिष्ठ अभियंता के हस्ताक्षर होने के संबंध में पहली बार उठाया गया तर्क अपना महत्व खो देता है, जब अधिशासी अभियंता ने स्वयं प्रश्नगत दायित्व को स्वीकार कर लिया है।

16. इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि दिनांक 24.10.2016 के पत्र द्वारा अधिशासी अभियंता द्वारा दायित्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था और उक्त पावती के तीन वर्ष के भीतर, अर्थात् वर्ष 2018 में, मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु नोटिस जारी किया गया था (जो अधिनियम की धारा 21 के तहत मध्यस्थता कार्यवाही का प्रारंभ माना जाता है), दावे को उचित रूप से परिसीमा के भीतर माना गया है। अतः वर्तमान अपील में उठाए जाने वाले तर्क में प्रत्यक्षतः कोई सार नहीं है।

17. यह स्थापित कानून है कि पंचाट की वैधता को चुनौती देने के लिए, अपीलार्थीगण को अधिनियम की धारा 34 के मापदंडों के भीतर मामला सिद्ध करना आवश्यक है, जिसमें अपीलार्थीगण पूरी तरह विफल रहे हैं। वाणिज्यिक न्यायालय ने पंचाट के प्रत्येक पहलू और उसके द्वारा निर्धारित चार बिंदुओं के तहत उठाई गई दलीलों पर सूक्ष्मता एवं विस्तृत रूप से विचार किया है और एक न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुँचा है। अपीलार्थीगण दर्ज किए गए किसी भी निष्कर्ष में नाममात्र की भी विपरीतता बताने में विफल रहे हैं।

18. फलस्वरूप, हमें आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। अपील सारहीन है, अतः इसे खारिज किया जाता है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

दिनांक: 10 मार्च, 2026

एसएल/

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।